# बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन
# के लिए
# व्यापार आचरण और आचार संहिता

1.0 प्रस्तावना :

1.1 इस आचार संहिता **("इस संहिता")** को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा गया है) के **"**बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता**"** कहा जाएगा।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। यह संहिता कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन और मूल्यों के अनुसार है।

1.3 बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ के लिए इस संहिता को विशेषकर स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करार के क्लॉज 49 के प्रावधानों तथा लोक उद्यम विभाग **(**डीपीई**)** के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन के लिए बनाया गया है।

1.4 यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त है।

2.0 परिभाषा एवं व्याख्या :

2.1 **"**बोर्ड के सदस्यों**"** से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से है।

2.2 **"**पूर्णकालिक निदेशक**"** अथवा **"**कार्यात्मक निदेशकों**"** से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे निदेशकों से है, जो कंपनी की पूर्णकालिक नियुक्ति पर हैं।

2.3 **"**अंशकालिक निदेशक**"** से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल के ऐसे निदेशकों से है, जो कि कंपनी की पूर्णकालिक नियुक्ति में नहीं हैं।

2.4 **"**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)**"** से तात्पर्य वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) में परिभाषित है।

2.5 **"**रिश्तेदार**"** शब्द का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) में (देखें परिशिष्ट-I) परिभाषित है।

2.6 **"वरिष्ठ प्रबंधन"** शब्द से तात्पर्य निदेशक मंडल को छोड़कर, कंपनी के ऐसे कार्मिकों से है, जो इसकी कोर प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, और इसमें कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक, तथा कंपनी की इकाइयों/विभागों के अन्य प्रमुखों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के समस्त सदस्य शामिल होंगे।

2.7 **"कंपनी"** शब्द से तात्पर्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है।

टिप्पणी : इस संहिता में पुल्लिंग निहितार्थ वाले शब्दों में स्त्रीलिंग शामिल होंगे और एकवचन निहितार्थ वाले शब्दों में बहुवचन अथवा विपरीत शामिल होंगे।

3.0 प्रयोज्यता :

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगीः

**(क)** समस्त पूर्णकालिक निदेशक, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं।

**(ख)** समस्त अंशकालिक निदेशक

**(ग)** प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

**(घ)** वरिष्ठ प्रबंधन

3.2 पूर्णकालिक निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की अन्य लागू/लागू होने वाली नीतियों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन जारी रखेंगे।

4.0 मार्गदर्शी सिद्धांत :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रदान किए गए प्राधिकार के भीतर कार्य करेंगे और निम्नलिखित का अनुपालन करेंगेः

**i.** कंपनी के बेहतर हित में कार्य करना और कंपनी के प्रति जिम्मेदाराना दायित्वों की पूर्ति करना;

**ii.** ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता, नैतिकता और सत्यनिष्ठा से कार्य करना;

**iii.** एक पेशेवर, साहसपूर्वक और सम्मानजनक ढंग से अपना आचरण रखना और अपने पद का अनुचित लाभ न उठाना;

**iv.** जिस देश में कंपनी का संचालन हो रहा है, वहां पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अंदर एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तौर-तरीके से कार्य करना;

**v.** कंपनी के संचार और अन्य नीतियों का पालन करना;

**vi.** भरोसेमंद, जिम्मेदारीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सामर्थ्यतापूर्वक और कर्मनिष्ठ ढंग से कार्य करना और अपने स्वतंत्र रूप से लिए गए निर्णय को गौण न होने देना;

**vii.** अपने निजी फायदे के लिए कंपनी की संपत्ति अथवा हैसियत का उपयोग न करना;

**viii.** निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/वरिष्ठ प्रबंधन की हैसियत से प्राप्त किसी सूचना अथवा अवसर का इस तरह से प्रयोग न करना, जिससे कंपनी के हितों को नुकसान होता हो;

**ix.** इस तरीके से कार्य करना, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और वह कायम रहे;

**x.** बोर्ड के समक्ष आए किसी मामले के संबंध में किसी निजी हित को प्रकट करना और ऐसे किसी मामले पर किसी निर्णय पर चर्चा करने, मत देने अथवा अन्यथा प्रभावित करने से बचना, जिसमें कि संबंधित निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) का कोई हित हो अथवा हित हो सकता है;

**xi.** ऐसे किसी मामले पर कोई चर्चा करने, मत देने अथवा किसी निर्णय को अन्यथा प्रभावित करने से बचना, जो बोर्ड के समक्ष आया हो, जिसमें कि उनके हितों का टकराव हो अथवा हितों के टकराव की संभावना हो;

**xii.** कंपनी के कार्यों के संबंध में सेवा के दौरान अर्जित सूचना की गोपनीयता का सम्मान करना, जब तक कि ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिए अधिकृत न किया जाए अथवा कानूनन प्रकट करना अनिवार्य न हो;

**xiii.** अपनी सेवा के दौरान अर्जित गोपनीय सूचना का अपने निजी हित के लिए अथवा किसी अन्य संस्था के फायदे के लिए उपयोग न करना;

**xiv.** उच्च नैतिक मानकों का निर्माण करने और उन्हें कायम रखने में सहायता करना तथा उनका पालन करने की प्रतिबद्धता रखना;

**xv.** बोर्ड के सदस्य की जानकारी में किसी ऐसी सूचना के संबंध में उचित तरीके से और समय पर सूचित करना, जो निर्णय लेने के संबंध में हो अथवा कंपनी के लिए अन्यथा महत्वपूर्ण हो;

**xvi.** बोर्ड के अन्य सदस्यों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/वरिष्ठ प्रबंधन और कंपनी से जुड़े अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण, निष्पक्षता तथा शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करना।

5.0 संहिता की अंतर्वस्तु :

- खंड-**I** - सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं
- खंड-**II** - विशिष्ट पेशेवर जिम्मेदारियां
- खंड-**III** **-** बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के आचरण में नैतिक निर्णय लेने के लिए आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन के संबंध में औपचारिक अभ्यर्थना, मेरिट के निर्धारण करने के लिए भी आधार के रूप में कार्य करेगी।

यह समझा जाता है कि इस नैतिक एवं आचार संहिता दस्तावेज में कुछ शब्द एवं वाक्यांश विभिन्न व्याख्याओं के अधीन है। किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## खंड-**I**

5.0 सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं **:**

5.1 समाज एवं मानव भलाई के लिए योगदान :

5.1.1 यह सिद्धांत सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है, मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा करने तथा समस्त संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व की स्वीकृति है। हमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों के प्रतिफल को सामाजिक जिम्मेदारी की तरह से प्रयोग में लाया जाएगा, उनसे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति होगी तथा

अन्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के हानिकारक प्रभावों से बचाव होगा। सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त**,** मानव कल्याण में सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण शामिल हैं।

5.1.2 अतः बोर्ड के समस्त सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जो कंपनी के उत्पाद के डिजाइन, विकास, उत्पादन एवं कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें मानव जीवन एवं वातावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए एक कानूनी एवं नैतिक, दोनों जिम्मेदारियों के बारे में सचेत होना चाहिए और दूसरों को भी सचेत रखना चाहिए।

5.2 ईमानदार और विश्वासपात्र बनना तथा सत्यनिष्ठा का पालन करना :

5.2.1 निष्ठा एवं ईमानदारी विश्वास का आवश्यक अंग है। विश्वास के बिना कोई भी संगठन असरदार तरीके से कार्य नहीं कर सकता है।

5.2.2 बोर्ड के समस्त सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन से यह उम्मीद की जाती है कि वे व्यक्तिगत तथा पेशेवर निष्ठा, ईमानदारी तथा नैतिकता का आचरण सर्वोच्च मानकों के अनुसार करें और कंपनी के प्रति अपने जिम्मेदाराना दायित्वों को पूरा करें।

5.3 निष्पक्ष बनें तथा भेद-भावपूर्ण कार्रवाई न करें **:**

5.3.1 समानता का गुण, सहिष्णुता, दूसरों के लिए सम्मान तथा समान व न्याय का सिद्धांत इस अनिवार्यता का संचालन करते हैं। जाति, लिंग, धर्म, आयु, दिव्यांगता, राष्ट्रीय उत्पत्ति अथवा अन्य इसी प्रकार के कारकों के आधार पर भेद-भाव करना इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

5.4 गोपनीयता का सम्मान :

5.4.1 ईमानदारी के सिद्धांत का संबंध सूचनाओं की गोपनीयता के मामले से है। नैतिकता से सरोकार यह है कि सभी हितधारकों की गोपनीयता के सभी दायित्वों का तब तक सम्मान करना है जब तक कि कानून की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी बाध्यताओं अथवा इस संहिता के सिद्धांतों से मुक्त नहीं किया जाता।

5.4.2 अतः बोर्ड के समस्त सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के व्यापार और कार्य के संबंध में सभी गोपनीय अप्रकाशित सूचना की गोपनीयता कायम रखेंगे।

5.5 प्रतिज्ञा एवं कार्य पद्धति :

5.5.1 सभी प्रकार की गतिविधियों में निष्ठा एवं पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना।

5.5.2 जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए अथक कार्य करना।

5.5.3 कंपनी की उन्नति एवं सम्मान के प्रति सतर्क रहना और कार्य करना।

5.5.4 संगठन के लिए सम्मान अर्जित करना और कंपनी के हितधारकों के लिए मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करना।

5.5.5 मन लगाकार और बिना भय एवं पक्षपात के कर्तव्य का पालन करना।

खंड-**II**

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां **:**

6.1 प्रतिदिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के विजन, मिशन और मूल्यों को सक्रिय रखना :

प्रत्येक दिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के विजन, मिशन एवं मूल्यों को सजीव रखना, जो इस प्रकार से हैः

विजन :

भारत और भारत से बाहर विद्युत और उससे जुड़े आधारभूत क्षेत्रों के लिए अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना

मिशन :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सर्वाधिक वरियता वाला वित्तीय संस्थान है, जो सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समेकित स्रोत और सेवा के साथ किफायती और प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद व सेवाएं प्रदान कर रहा है, भारतीय विद्युत क्षेत्र में सुधारों में भागीदारी कर रहा है और भारत में व भारत से बाहर विद्युत तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में सक्षम निवेशों को बढ़ावा देकर अपने हितधारकों के मूल्य में वृद्धि कर रहा है।

हम एक सक्रिय, लचीले, आगे बढ़ने वाले, विश्वसनीय, सामाजिक तौर पर जिम्मेदार संगठन होने के नाते, हमारे हितधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील, लाभप्रद और हर समय संपोषणीय रहते हुए अपने प्रचालनों में पारदर्शिता और निष्ठा लाकर इस मिशन को प्राप्त करेंगे ।

मूल्य :

- उत्कृष्ठ कार्य करने का जोश तथा परिवर्तन करने की इच्छा
- सभी मामलों में निष्ठा तथा सच्चाई
- व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और क्षमता का सम्मान करना
- वादों का कठोरता से अनुपालन करना
- तीव्रता से प्रतिक्रिया देना
- शिक्षण, सृजनात्मकता तथा मिल जुलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निष्ठा और गर्व होना।

6.2 व्यावसायिक कार्य की प्रक्रिया और उत्पाद, दोनों में सर्वोच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा सम्मान अर्जित करने के लिए प्रयास करना :

उत्कृष्टता किसी व्यावसायिक का कदाचित सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा अपने व्यावसायिक कार्य में सम्मान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

6.3 व्यावसायिक क्षमता अर्जित करना और बनाए रखना :

उत्कृष्टता ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर करती है, जो व्यावसायिक क्षमता अर्जित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। अतः सभी से यह उम्मीद की जाती है कि वे सक्षमता के उचित स्तर पर मानकों की स्थापना में भागीदार बनें और उन मानकों को हासिल करने के लिए प्रयास करें।

6.4 कानूनों का अनुपालन :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। वे कंपनी के व्यवसाय से जुड़ी नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों का भी अनुसरण करेंगे और उनका पालन करेंगे।

6.5 उचित व्यावसायिक समीक्षा को स्वीकार करना एवं प्रदान करना :

गुणवत्तापरक व्यावसायिक कार्य व्यावसायिक समीक्षा एवं टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जहां कहीं भी उचित हो, अलग-अलग सदस्यों को गहन समीक्षा करानी चाहिए तथा गहन समीक्षा के साथ-साथ उनके कार्य की विवेचनात्मक समीक्षा प्रदान करनी चाहिए।

6.6 कार्यगत गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कार्मिकों एवं संसाधनों का प्रबंधन :

संगठन के संचालक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्यगत वातावरण उत्पन्न करें ताकि वे अपना सर्वोत्तम प्रदान कर सकें। बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के समस्त कर्मचारियों के मानव सम्मान के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेंगे और इस प्रकार, कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे।

6.7 ईमानदार रहना और किसी भी प्रलोभन से बचना :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन अपने परिवार तथा अन्य सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के सौदों में व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन एवं किसी अन्य पारिश्रमिक की मांग नहीं करेंगे। इसमें उपहार तथा महत्वपूर्ण मूल्य के अन्य लाभ भी शामिल हैं, जो कई बार किसी एजेंसी को ठेका प्रदान करने तथा व्यापार को प्रभावित करने के लिए प्रदान किए जा सकते हैं।

6.8 कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन :

कंपनी के अंदर संवाद का आदान-प्रदान कठोर नहीं है तथा लोग हर स्तर पर अपने को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि, किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए प्रक्रिया/विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान होता है, परन्तु विचार विमर्श की प्रक्रिया समाप्त होने पर तथा नीति मतैक्य स्थापित हो जाने के बाद सभी से यह आशा की जाती है कि वे इसे ध्यान में रखें और इसका पालन करें, भले ही कुछेक मामलों कोई व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं भी हो सकता है। कुछ

मामलों में नीतियां कार्रवाई के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं, अन्य में ये कार्रवाई के संबंध में बाधा पहुँचाने के लिए बनाई गई हो सकती है। सभी को इसके अंतर और उचित को पहचानना सीखना होगा कि उनका पालन करना उनके लिए क्यों आवश्यक है।

6.9 इस तरह का आचरण करना, जिससे कंपनी की साख दिखाई पड़े :

सभी से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद, दोनों समय में इस तरह का आचरण करें जिसमें कंपनी की साख दिखाई पड़े। कुल मिलाकर उनके व्यक्तिगत तौर तरीके और व्यवहार तथा संगठन के अंदर और बाहर लोग इसे व्यापक तौर पर किस ढंग से लेते हैं, इन सब का कंपनी की साख से संबंध होता है ।

6.10 कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनना :

उन सभी को, जिन्हें हम सेवा देते हैं, वे हमारे ग्राहक भी हो सकते हैं, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय में नहीं रह सकती, शेयरधारक भी हो सकते हैं, जिनका व्यवसाय में महत्वपूर्ण हित होता है, कार्मिक भी हो सकते हैं, जिनका इसमें हित निहित होता है, वेंडर भी हो सकते हैं, जो समय पर डिलीवरी करके कंपनी को सहयोग करते हैं तथा समाज भी हो सकता हैं, जिसके प्रति कंपनी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, वे सभी कंपनी के हितधारक हैं। अतः सभी को हर समय यह ध्यान में रखना होगा कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति जवाबदेह रहें ।

6.11 आंतरिक व्यापार की रोकथाम :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की प्रतिभूतियों तथा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार निपटान करने में आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए संहिता का पालन करेंगे।

6.12 व्यापार जोखिमों की पहचान, उपशमन तथा प्रबंधन करना :

यह सभी की जिम्मेदारी है कि वे कंपनी के व्यापार संबंधी ऐसे जोखिमों की पहचान करने के लिए कंपनी के जोखिम प्रबंधन तंत्र का अनुसरण करें जो कंपनी के परिचालन क्षेत्र या कार्य के आस-पास के जोखिम को पहचाने तथा इस तरह के जोखिमों के प्रबंधन की कंपनी की विस्तृत प्रक्रिया में मदद करें, ताकि कंपनी अपना व्यापक व्यापारिक उद्देश्य हासिल कर सकें।

6.13 कंपनी की संपत्तियों का संरक्षण :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन परिसंपत्तियों, जिनमें भौतिक परिसंपत्तियां शामिल हैं, सूचना तथा कंपनी के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उनका प्रयोग नहीं करेंगे।

6.14 तर्कसंगत निर्णय :

बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों पर विचार करेंगे और निम्नलिखित पर ध्यान देते हुए एक तर्कसंगत निर्णय तक पंहुचेंगे :

**i.** मामले की विषयवस्तु के संबंध में उनका कोई संभावित निजी हित तो नहीं है ;

**ii.** मामले की विषयवस्तु के संबंध में विचार करने के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत की गई सूचना पर्याप्त मात्रा में है, और यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त सूचना की मांग करें।

6.15 कॉर्पोरेट अवसर :

बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी तथा हितधारकों के हितों को देखना है। उनसे इस प्रकार की आशा नहीं की जाती कि वे कंपनी के कारोबार के दौरान अर्जित अथवा प्राप्त की गई सूचना का अपने फायदे के लिए उपयोग करे, जिससे कि कंपनी को कोई नुकसान हो सकता हो और कंपनी का निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन का सदस्य रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कारोबार से प्रतिस्पर्द्धा नहीं करेगा। अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते समय उन्हें प्राप्त हुई कोई भी सूचना कंपनी की संपत्ति होगी।

## खंड-III

7.0 कंपनी के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान :

7.1 बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में :

वे बोर्ड तथा जिस समिति से संबंधित हैं, उनकी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे ।

7.2 बोर्ड के सदस्य के रूप में :

7.2.1 किसी अन्य बोर्ड में अपने पद, अन्य व्यवसायों के साथ संबंध तथा अन्य घटनाओं/परिस्थितियों/दशाओं में किसी प्रकार के ऐसे बदलावों, जो उनके बोर्ड/समिति की ड्यूटी को पूरा करने में तथा बोर्ड के निर्णय पर प्रभाव डाल सकते हैं कि क्या वे स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार तथा डीपीई के दिशा-निर्देश की आवश्यकता पूरी करते हैं, इनके संबंध में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को सूचित करने का अभिवचन देते हैं ।

7.2.2 किसी भी निजी हित को प्रकट करेंगे, जो हो सकता है कि किसी ऐसे मामले के संबंध में हो, जो बोर्ड के समक्ष आया हो, उस पर चर्चा करने, मत देने अथवा ऐसे मामले के निर्णय को अन्यथा प्रभावित करने से बचे, जिसमें संबंधित निदेशक का कोई हित हो सकता है।
बोर्ड के समक्ष आए किसी ऐसे मामले पर चर्चा करने, मत देने अथवा किसी निर्णय को अन्यथा प्रभावित करने से बचेंगे, जिसमें उनका हितों का टकराव हो अथवा हितों में संभावित टकराव हो सकता हो और यह अभिवचन देंगे कि बोर्ड के ऐसे सदस्यों जिनका कोई हित नही हैं, उनके पूर्व अनुमोदन के बिना वे हितों के स्पष्ट टकराव से बचेंगे। हितों में टकराव तभी हो सकता है, जब उनका निजी हित निहित हो, जिसमें कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मामले इस प्रकार हो सकते हैं:

संबद्ध पक्ष से सौदे :
बोर्ड के सदस्य कंपनी की "संबद्ध पक्ष सौदों से संबंधित नीति" के तहत यथा अपेक्षित संबद्ध पक्ष सौदों को प्रकट करेंगे।

बाहरी निदेशक: कंपनी के कारोबार से प्रतिस्पर्द्धा करने वाली किसी अन्य कंपनी के बोर्ड के निदेशक का पद स्वीकार करना।

परामर्श/व्यापार/नियोजन : किसी गतिविधि में शामिल होना (चाहे वह परामर्श सेवा प्रदान करने, व्यवसाय चलाने, नियुक्ति स्वीकार करने के रूप में हो) जिसके कंपनी के प्रति उनके कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के साथ दखलंदाजी अथवा टकराव होने की संभावना हो। वे किसी भी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या कंपनी के ग्राहक के साथ किसी अन्य तरीके से स्वयं की सहभागिता या निवेश नहीं करेंगे।

व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग :

अपने आधिकारिक पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेंगे।

7.2.3 स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य :

स्वतंत्र निदेशक :

1. उपयुक्त नियुक्ति करेंगे और कंपनी के लिए उनके कौशलों, ज्ञान तथा जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन और ताजा करते रहेंगे;

2. सूचना का उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे अथवा विस्तार करेंगे और आवश्यकतानुसार कंपनी के खर्चे पर बाहरी विशेषज्ञों की समुचित व्यावसायिक सलाह और राय लेंगे और उनका पालन करेंगे ;

3. निदेशक मंडल और बोर्ड की ऐसी समितियों, जिनका कि वह सदस्य है, की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे;

4. बोर्ड की ऐसी समितियों में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी करेंगे जिनमें कि वे अध्यक्ष अथवा सदस्य हैं;

5. कंपनी की आम बैठकों में भाग लेंगे;

6. जहां उनका कंपनी के संचालन अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सरोकार है, यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड द्वारा उनका समाधान किया गया है और जहां तक उनका समाधान नहीं हुआ है, इस बात पर बल देंगे कि उनकी चिंता को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज या जाए;

7. कंपनी और बाहरी परिवेश, जिसमें वह संचालित होती है, के संबंध में उन्हें अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी;

8. बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति की कार्य प्रणाली में अन्यथा अनुचित बाधा नहीं डालेंगे ;

9. इस बात पर पर्याप्त ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबद्ध पक्ष के सौदों को अनुमोदित करने से पूर्व पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया हो और स्वयं को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि यह कंपनी के हित में है ;

10. यह पता लगा कर सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी के पास एक पर्याप्त व कार्यात्मक रूप से सतर्क तंत्र है और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तंत्र का उपयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति का हित इस प्रकार के उपयोग के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो;

**11.** किसी भी अनैतिक व्यवहार, कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिकता की नीति की वास्तविक अथवा संदिग्ध गड़बड़ी अथवा उल्लंघन के संबंध में चिंताओं के बारे में सूचित करेंगे;

**12.** अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करेंगे, कंपनी, शेयरधारकों तथा उसके कार्मिकों के कानूनी हितों के संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

**13.** वाणिज्यिक गोपनीयता, प्रौद्योगिकीयों, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित संवेदनशील सूचना सहित गोपनीय सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि इस प्रकार के प्रकटन को बोर्ड द्वारा अथवा कानून की अपेक्षा के अनुसार स्पष्ट अनुमोदन प्रदान न कर दिया जाए।

7.3 व्यापार आचरण और आचार संहिता का अनुपालन :

7.3.1 कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन इस संहिता के सिद्धांतों की मर्यादा को बनाए रखेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे :

संस्था का भविष्य तकनीकी एवं नैतिक उत्कृष्टता पर निर्भर करता है। संहिता में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों का अनुपालन न केवल बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ही आवश्यक है, बल्कि उनमें से प्रत्येक को इसके लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए तथा अन्य को भी इसका पालन करने के लिए समर्थन करना चाहिए।

7.3.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के साथ असंगत जुड़ाव के रूप में मानना :

नैतिकता की संहिता का व्यावसायिकों द्वारा अनुपालन किया जाना काफी हद तक और सामान्य तौर पर स्वेच्छा का विषय है। तथापि, यदि बोर्ड के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन में से कोई भी यदि इस संहिता का पालन नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक/अधिकारी संभावित उल्लंघनों की आंतरिक और बाहरी जांच में सहयोग करेंगे।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और उसका संरक्षण करेगी, जिसने नेक नियत से इस संहिता के किसी कानून अथवा कंपनी की किसी नीतियों का उल्लंघन होने अथवा उल्लंघन का संदेह होने के बारे में सूचित किया है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति,

जो ऐसे उल्लंघन के संबंध में किसी जांच अथवा प्रक्रिया में सहायता कर रहा है, को भी गोपनीयता और संरक्षण प्रदान करेगी।

7.4 विविध बिंदु :

7.4.1 संहिता में संशोधन/निरंतर अद्यतन करना :

यह संहिता कानून में किसी प्रकार के बदलाव, कंपनी के दर्शनशास्त्र, विजन, व्यापार योजना में परिवर्तन के अनुसार लगातार समीक्षा एवं अद्यतन किए जाने अथवा बोर्ड द्वारा अन्यथा यथा आवश्यक परिवर्तनों के अधीन है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर इस संहिता के प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किए जा सकते हैं और ऐसे सभी संशोधन/परिवर्तन उनमें उल्लिखित तारीख से प्रभावी होंगे।

7.4.2 कहां से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए :

बोर्ड के किसी सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन, जिसे इस आचार संहिता के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वह कंपनी सचिव/ निदेशक मंडल द्वारा नामित किसी अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

7.4.3 संहिता को वेबसाइट पर डालना :

डीपीई के दिशा-निर्देशों और सूचीबद्ध करार के प्रावधानों के अनुसरण में इस संहिता और इसमें किए गए किसी संशोधन को कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

7.4.4 वार्षिक अनुपालना की सूचना :

बोर्ड के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा शामिल होगी। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का एक प्रारूप परिशिष्ट-**II** में है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव को प्रेषित की जाएगी। यदि बोर्ड का कोई सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी को छोड़ता है, तो वह कंपनी को पत्र भेजेगा, जिसमें वह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ अपने जुड़ाव की तारीख तक संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

7.4.5 इस संहिता की प्राप्ति की पावती :

बोर्ड के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता अथवा इसमें किए गए किसी संशोधन के प्राप्त होने के संबंध में परिशिष्ट-III में दिए गए पावती फार्म में पावती देंगे और इसे कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उन्हें यह संहिता प्राप्त हो गई है, उसे पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है और इस संहिता का अनुपालन करने के लिए सहमत है।

# पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
# बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन
# के लिए
# व्यापार आचरण और आचार संहिता

## रिश्तेदार की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्धरण

धारा 2 (77) **"रिश्तेदार"** से तात्पर्य, किसी व्यक्ति के संदर्भ में यह होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उस स्थिति में रिश्तेदार समझा जाएगा, जब,

**(i)** वे हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं, या
**(ii)** वे पति और पत्नी हैं, या
**(iii)** उनका एक-दूसरे से इस तरह का रिश्ता हो, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

कंपनी अधिनियम (परिभाषा विवरणों का विनिर्देशन) नियमावली, 2014 का उद्धरण

धारा 2 के खंड (77) के संदर्भ में रिश्तेदारों की सूची -

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि उनका निम्नलिखित तरीके से एक-दूसरे से रिश्ता है, नामतः

**(1)** पिता :
परन्तु **"पिता"** शब्द में सौतेला पिता भी शामिल है ।
**(2)** माता :
परन्तु **"माता"** शब्द में सौतेली माता भी शामिल है ।
**(3)** पुत्र :
परन्तु **"पुत्र"** शब्द में सौतेला पुत्र भी शामिल है।
**(4)** पुत्र-वधु
**(5)** पुत्री
**(6)** पुत्री का पति (दामाद)
**(7)** भाई :
परन्तु **"भाई"** शब्द में सौतेला भाई भी शामिल है ।
**(8)** बहन
परन्तु **"बहन"** शब्द में सौतेली बहन भी शामिल है ।

<u>परिशिष्ट-II</u>

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन
के लिए
व्यापार आचरण और आचार संहिता

अभिपुष्टि

(कंपनी के बोर्ड के सदस्यों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर हर वर्ष 30 अप्रैल तक)

मैं ..... (नाम) ..... (पदनाम) बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता को पढ़कर समझते हुए सत्यनिष्ठा से एतदद्वारा यह अभिपुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने 31 मार्च, ..... को समाप्त वर्ष के दौरान संहिता का अनुपालन किया है और इसके किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

हस्ताक्षर
.....

नाम
.....

पदनाम
.....

रोजगार संख्या
.....

दूरभाष संख्या
.....

स्थान :
.....

तारीख :

.....

<u>परिशिष्ट-**III**</u>

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन
के लिए
व्यापार आचरण और आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता
प्राप्त होने की पावती

मुझे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता प्राप्त हो गई है और इसे पढ़ लिया है। मैं इस व्यापार आचरण और आचार संहिता में निहित मानकों और नीतियों को समझता हूँ तथा यह भी समझता हूँ कि मेरी जॉब के लिए अतिरिक्त नीतियां अथवा विशिष्ट कानून हो सकते हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए भी सहमत हूँ।
यदि मेरा उक्त व्यापार आचरण और आचार संहिता, कंपनी की किन्हीं नीतियों अथवा मेरी जॉब के लिए लागू विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के तात्पर्य अथवा अनुप्रयोग के संबंध में कोई प्रश्न है, तो मुझे पता है कि मैं यह जानते हुए कि मेरे प्रश्न अथवा सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, कंपनी सचिव/पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से परामर्श कर सकता हूं।

हस्ताक्षर
......................................................
नाम
......................................................
पदनाम
......................................................
रोजगार संख्या
......................................................
दूरभाष संख्या
......................................................
स्थान :
......................................................
तारीख :
.....................................................